

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं० 142 / न० 40 वि०

दिनांक 21-8-15

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मलिकयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री. आनन्द कुमार अग्रवाल 5/0
सं० अग्रवाल कृष्ण अग्रवाल, आराजी सं० ३ रब, सि० ४ रन, सि० ५, सि० 10 ना, सि० ७ रब,
पिता/पति का नाम श्री. आराजी संख्या 4 न सि० ३ रब मौजा - तिलकापुर
वार्ड सारनाथ में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिह्नित भवन
चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20



कृते उपाध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वाकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरावाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, ड्राप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अग्रवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर..... दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूलस के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

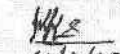
5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें

- 1:- पक्ष को स्थल पर 35 पेड़ लगाना होगा।
- 2:- वेसमेंट की इतनी सुलभ के लिबिल में होगी तथा उसमें Mechanical Ventilation की व्यवस्था का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही स्लैब का स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि फाचर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगी।
- 3:- भवन में उच्चतम सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।
- 4:- स्वामित्व के सम्बन्ध में भविष्य में यदि कोई विवाद होता है तो स्वीकृति मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 5:- मानचित्र में दर्शित सड़क विस्तार हेतु भूमि देहने के उपरान्त ही स्वीकृत मानचित्र के अनुसार स्थल पर निर्माण करना होगा।
- 6:- निर्माण के दौरान वेसमेंट खुदाई हेतु सुरक्षा के सभी उपाय पक्ष द्वारा किये जायेंगे तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।
- 7:- पक्ष को विद्युत बिमाग व अपने शान्त बिमाग के शर्तों का पालन करना होगा।
- 8:- पक्ष को अपने शपथ-पत्र दिनांक:- 26/2/13 का पालन करना होगा।
- 9:- बिमाग द्वारा यदि भविष्य में कोई वैयक्तिक बनती है तो पक्ष द्वारा देय होगा।
- 10:- स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।


20/8/15
बि. लि.


20/8/15
बि. लि.


20/8/15
बि. लि.



नगर अभियन्ता (मन्त्र)
निकास प्रबंधन, वाराणसी

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं०. 126 / जो० अ०

दिनांक 04-07-18

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री. आनन्द कुमार आगवाले
पिता/पति का नाम श्री. मोक्षदा सिंघल देवराज आराजी संख्या 22, म. 9 ए. 10, 0, व. 10, 0 मौजा देवराजपुरा
वार्ड 10 में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20



232
04-07-18
जोन्ल अधिकारी
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप, नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने परदिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई हो तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्त :-

1. पक्षगण को भूखण्ड पर 35 पेड़ लगाना होगा।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान मानक के अनुसार पक्ष को स्थल पर कराना होगा।
3. स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पक्ष/आवेदक को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश भाग का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
4. पक्ष एवं आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजीनियर को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा, अन्यथा कोई अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्षगण एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट की होगी।
5. कूड़ा संचयन की पर्याप्त व सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित कराना होगा।
6. भू-स्वामित्व एवं रास्ता सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में एवं अन्य कोई तथ्य उजागर होने की दशा में प्रस्तुत मानचित्र स्वतः अस्वीकार माना जायेगा और ऐसी दशा में इसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
7. भविष्य में यदि विभाग द्वारा कोई देयता बनती है तो शपथकर्तागण द्वारा देय होगी।
8. पक्षगण को शपथ पत्र दिनांक 26.06.18 का निर्देशानुसार अनुपालन करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों की छायाप्रति पक्ष को निर्माणाधीन स्थल पर रखना होगा, ताकि मौके पर कभी भी जाँच कर स्थलीय निर्माण का मिलान स्वीकृत मानचित्र से किया जा सके।
10. स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।
11. पूर्व में भी मानचित्र स्वीकृति के समय दिये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।


26/6/18

04-07-18